।कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर।

F 14 ( ) 2016/FCA/PCCF/ CCF-EDS-I/Jaipur Dated 27.7.2017

EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR द्वारा जिला/वनमण्डल झालावाड में **Extension of Kolana air strip at Jhalawar** के निर्माण कार्य में 120.4062 है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव ऑनलाइन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. **FP/RJ/OTHERS/21735/2016** पर दिनांक 7.10.2016 को रजिस्टर किया गया था। मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्ताव में पार्ट।। एवं पार्ट ।।। की पूर्ती कर भिजवाया गया है। सम्पूर्ण प्रस्ताव का पुनः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशो के क्रम में परीक्षण उपरांत निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है।

1. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या A-1 (xvii) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न की गई है किन्तु इसमें अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर सत्यापित किये जाने अपेक्षित है।
2. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या B-1 में यूजर ऐजेन्सी द्वारा कोई सूचना नही भरी गई है। जबकि यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्व में इसी उद्देश्य हेतु 9.71 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन कराया गया है। यूजर ऐजेन्सी उक्त प्रस्ताव को बिन्दु संख्या 1 में अंकित करे एवं सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना नही किये जाने के कारण भी स्पष्ट किया जावे।
3. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या B-2.4 में यूजर ऐजेन्सी द्वारा एक ही कम्पोनेंट एयर स्ट्रिप दिया गया है जबकि प्रसतावित प्रत्यावर्तित भूमि में (जैसे रोड निर्माण, बिल्डिंग निर्माण, पार्किंग आदि) करवाये जाने प्रस्तावित है उक्तानुसार कम्पोनेटवाइज भूमि उपयोग का विवरण अंकित किया जावे।
4. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-b(ii) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत KML file में निम्न कमियां हैः–
   1. KML file Polyline shape में दी गई है प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि का KML file Polygon shape में दिया जाना अपेक्षित है।
   2. प्रस्ताव में कम्पोनेंट अनुसार KML file दी जानी प्रस्तावित है।
   3. प्रस्ताव में वन/गैर वन सीमा का भी सीमांकन नही दिया गया है।
5. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-b(iii) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत GT Sheet में प्रस्तावित वनभूमि को वन सीमा का भी सीमांकन तो किया जाना प्रस्तावित है
6. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-b(iv) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत DGPS map में निम्नानुसार दर्शाया जाना प्रस्तावित हैः–
   1. पूर्ण प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि के सभी कार्नस के जी0पी0एस0 कोर्डीनेटस
   2. कम्पोनेट अनुसार वन भूमि /गैर वन भूमि (प्रोजेक्ट में शामिल) को दर्शाया जाना
   3. पूर्व में प्रत्यावर्तन हेतु प्रसतावित वन भूमि जिसे इस प्रसताव में सम्मिलित किया गया है उसका पृथक रंग से अंकन
   4. वनसीमा का अंकन
7. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या D में यूजर ऐजेन्सी द्वारा हवाई पट्टी को 3000 मीटर तक बढाये जाने हेतु राज्य सरकार के निर्देश होना अवगत कराया गया है किन्तु उसकी कोई प्रति संलग्न या संदर्भ का जिक्र नही किया गया है। यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्व में 9.71 है0 का प्रस्ताव भिजवाने के समय न्यूनतम वन भूमि का प्रमाण पत्र भिजवाया गया था। क्या प्रस्ताव में एक्सटेंशन पूर्व से निर्धारित था। हवाई पट्टी का विस्तार वन भूमि की तरफ करने का क्या औचित्य है। इस संबंध में यूजर ऐजेन्सी अपनी स्पष्ट टिप्पणी प्रस्तुत करे।

8. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या F में यूजर ऐजेन्सी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लागत लाभ विश्लेषण संलग्न नही किया गया है।
9. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या H में यूजर ऐजेन्सी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति संलग्न नही की गई है।
10. उप वन संरक्षक ने अपने पार्ट ।। में अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव की मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से दूरी 10 कि0मी0 क्षैत्र में आती है प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवयश्कता है अतः वन्यजीव स्वीकृति लिया जाना प्रस्तावित है।
11. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या K-(i) में संलग्न वनाधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र में निम्न सूचना दिया जाना प्रस्तावित है:–
    1. जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र सिविल एवियशन विभाग अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया गया है। जबकि प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड झालावाड द्वारा आवेदित किया गया है।
    2. जिला स्तरीय कार्यवाही विवरण
    3. ग्राम पंचायत कोलाना द्वारा 75.228 है0 एवं ग्राम पंचायत मंडावर द्वारा 26.219 है0 की अनापत्ति दी गई है शेष वन भूमि के प्रसताव का वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न नही है।
    4. प्रभावित पूर्ण वन क्षैत्र का ग्रामवार समिति कार्यवाही विवरण एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यवाही विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
    5. ग्राम सभा कार्यवाही विवरण संलग्न किया गया है इसमें वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही न करके एयर स्ट्रिप एक्सटेंशन की स्वीकृति दी गई है जो उचित नही है। इसे संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।
12. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या L में निम्न कमियां है:–
    1. यूजर ऐजेन्सी द्वारा ग्राम हरनावदा में 120.4062 है0 गैर वन भूमि देना अवगत कराया गया है जबकि संलग्न दस्तावेज में जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश मात्र 31.19 है0 के ही संलग्न है।
    2. गैर वन भूमि का खसरावार मानचित्र संलग्न किया गया है। जबकि इसमें DGPS Map संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
    3. 120.4062 गैर वन भूमि को वन विभाग को प्रस्ताव के बदले आरक्षित किये जाने के आदेश एवं उससे संबंधित जमाबंदी संलग्न की जानी प्रस्तावित है। निम्नानुसार अतिरिक्त सूचनाएँ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी जानी अपेक्षित है।
13. प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां
14. प्रस्तुत बार चार्ट सही नही है रिवाइज्ड बार चार्ट प्रस्तुत किया जाना है।
15. कम्पोनेट अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव का लम्बाई चौडाई का विवरण (खसरावार/ग्रामवार)
16. प्रस्ताव विवरण
17. मलवा निस्तारण योजना
18. प्रस्ताव के पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 8 (।।।) में यह स्पष्ट नही किया गया है कि प्रस्तावित स्थल मुकंदरा नेशनल पार्क से 6.5 मी दूरी पर है या मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से 6.5 कि0मी0 दूरी पर है स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।
19. प्रस्ताव के पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 11 (।) में उप वन संरक्षक द्वारा 9.71 है0 वन भूमि पर निर्माण के होने का बाबत अंकित किया जाकर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन होना अवगत कराया गया है। साथ में दोषी अधिकारियों के नाम के0 के0 माथुर (अधिशासी अभियंता), वी0एस0चित्तल (सहायक अभियंता), के0के0डगल (कनिष्ठ अभियंता) दिये गये गये है एवं मामला न्यायालय में विचाराधीन होना अवगत कराया गया है। इस संबंध में उप वन संरक्षक

झालावाड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में क्या कार्यवाही की गई सहित तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

20. उप वन संरक्षक द्वारा विस्तृत क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न नही की गई है। जो प्रस्तावित है।
21. एन0पी0वी0 गणना प्रपत्र संलग्न नही किया गया है।
22. प्रभावित वृक्षो की सूची संलग्न नही की गई है।
23. उप वन संरक्षक ने अपनी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन भूमि की विधिक स्थिति स्पष्ट नही की गई है।
24. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटा की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में नक्शो की भिन्नता को दूर करने, प्रस्ताव मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के इको सेंसेटिव जोन में आने के कारण उक्तानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है जिसकी पालना उप वन संरक्षक/यूजर ऐजेन्सी द्वारा की गई अथवा नही यह स्पष्ट नही किया गया इसके अतिरिक्त स्थल निरीक्षण 11.6.2017 को किया गया जबकि इस पर हस्ताक्षर दिनांक 23.6.2017 को किये गये है पुनः स्पष्ट स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
25. प्रस्ताव में उप वन संरक्षक द्वारा मात्र पार्ट । की प्रति (दो) संलग्न कर भिजवाई गई है। जिसमें भी सम्पूर्ण संशोधित दस्तावेज (अन्डरटेंकिग 110.6962 है0 की संलग्न) संलग्न नही किये गये है पार्ट।। एवं पार्ट।।। एवं उनसे संबंधित सूचना संलग्न कर नही भिजवाई गई है। अतः प्रस्ताव में एक हार्ड प्रति मूल एवं दो प्रति फोटो प्रति जिसमें सभी दस्तावेजों पर यूजर ऐजेन्सी (वन विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों कें अतिरिक्त) एवं उप वन संरक्षक (वन विभाग द्वारा जारी, एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट, सभी मानचित्र, जमाबंदी आदि) पर मय नाम, पद दिनांक सहित हस्ताक्षर किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव के परीक्षणोंपरांत उपरोक्त बिन्दुओ पर सूचना अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटा को भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(P.C. KUMAWAT)
DCF (FCA)
JAIPUR